रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2177] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2016/भाद्र 15, 1938
No. 2177] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2016/BHADRA 15, 1938

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 सितंबर, 2016

का.आ. 2875(अ).—संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अपनी 5015वीं बैठक में अपनाए गए संकल्प 1556 (2004) [उपाबंध 1 के रूप में इस आदेश से संलग्न] को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अपनाया गया था जिसमें सभी राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई थी कि, उत्तरी दारफुर, दक्षिणी दारफुर और पश्चिमी दारफुर के राज्यों जिसके अंतर्गत जंजावीद है के क्षेत्र में क्रियाशील सभी गैर-सरकारी निकायों और व्यष्टियों को या उनके नागरिकों द्वारा या उनके क्षेत्रों से या उनके झंडे वाले जलयानों या वायुयानों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के हथियार और संबंधित सामग्री, जिसके अंतर्गत हथियार और गोला-बारूद और सैन्य वाहन और उपस्कर, अर्द्धसैन्य उपस्कर और पूर्वोक्त के लिए अतिरिक्त पुर्जे, चाहे उनके राज्यक्षेत्रों से उत्पादित हों या नहीं और इस संकल्प के पैरा 8 जिसके द्वारा उपरोक्त पैरा में पहचाने गए गैर-सरकारी निकायों और व्यष्टियों के लिए किसी उपबंध के लिए आवश्यक उपायों को करने के लिए अपेक्षित है, जोकि उत्तरी दारफुर, दक्षिणी दारफुर और पश्चिमी दारफुर के राज्यों में क्रियाशील उनके नागरिकों द्वारा या उनके राज्यक्षेत्रों से पूर्वोक्त पैरा में सूचीबद्ध तकनीकी प्रशिक्षण या उपबंध, उत्पादन, रख-रखाव या पूर्वोक्त पैरा में सूचीबद्ध मदों के प्रयोग से संबंधित सहायता, विक्री या स्थानांतरण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने अपेक्षित है;

और, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अपनी 5153वीं बैठक में अपनाए गए संकल्प 1591 (2005) जिसमें सभी राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे संकल्प द्वारा स्थापित समिति द्वारा नामोदिष्ट व्यष्टियों के उनके क्षेत्र द्वारा प्रवेश करने या पारगमन करने की रोकथाम करने के आवश्यक उपाय करें और संकल्प के पैराग्राफ 3 (ङ) जिसके द्वारा सभी राष्ट्रों से अपेक्षा की गई है कि सभी निधियों, वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने उनके राज्यक्षेत्र में इस संकल्प को अंगीकार करने की तारीख पर या इसके पश्चात किसी भी समय, जिनको अधिगृहीत किया गया है या नियंत्रित हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समिति द्वारा नामोदिष्ट व्यष्टियों द्वारा, या जो निकायों द्वारा अधिगृहीत या नियंत्रित हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे व्यष्टियों द्वारा या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यष्टियों द्वारा या उनके निदेश पर और यह सुनिश्चित करने हेतु कि ऐसे व्यष्टियों या निकायों के लाभ के लिए या उनके राज्यक्षेत्र के भीतर किन्हीं व्यष्टियों द्वारा या उनके नागरिकों द्वारा कोई निधियां, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे;

और, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के संकल्प 2265 (2016) में सभी राष्ट्रों से संकल्प 1556 (2004), 1591 (2005), 1651 (2005), 1665 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1713 (2006), 1779 (2007), 1841 (2008), 1891 (2009), 1945 (2010), 1982 (2011), 2035 (2012), 2091 (2013), 2138 (2014), और 2200 (2015); में दिए गए उपबंधों का पूर्ण कार्यान्वयन करने की अपेक्षा की गई है;

और, केन्द्रीय सरकार सूडान की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अपनाए गए सुरक्षा परिषद के उक्त संकल्पों के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43वां) के अंतर्गत एक आदेश जारी करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतः अब, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 (1947 का 43वां) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :- (।) इस आदेश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्पों का सूडान पर आदेश-2016 कार्यान्वयन कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं :- (1) इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "संकल्प" से सुरक्षा परिषद द्वारा 30 जुलाई 2004 को स्वीकार किया गया 2004 का 1556वां संकल्प और 1591 (2005), 1651 (2005), 1665 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1713 (2006), 1779 (2007), 1841 (2008), 1891 (2009), 1945 (2010), 1982 (2011), 2035 (2012), 2091 (2013), 2138 (2014), और 2200 (2015) सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत किए गए संकल्प अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची" से सुरक्षा परिषद द्वारा तैयार अवधारणा के आधार पर उनके उक्त संकल्प में बनाए गए इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) "समिति" से संकल्प 1591 (2005) के पैरा 3 (क) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अन्य विधियों में क्रमशः उनके हैं।

3. व्यष्टियों और अस्तित्वों पर आदेश का लागू होना:- इस आदेश के उपाबंध, जिन्हें कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में और इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची के उपाबंध 3 में आने वाले व्यष्टियों और अस्तित्वों पर

लागू होंगे और समय-समय पर ऐसी समिति द्वारा नामोदिष्ट और इनकी वेबसाइट: http://www.un.org/sc/committees/1591/1591.htm पर अद्यतन और विनिर्दिष्ट व्यष्टियों और अस्तित्वों शामिल हैं;

4. केंद्रीय सरकार की संकल्प को प्रभावी करने की शक्तियां:- केन्द्रीय सरकार के पास आवश्यक उपाय करने के लिए सभी शक्तियां होंगी:-

(1) उत्तरी दारफुर, दक्षिणी दारफुर और पश्चिमी दारफुर के राज्यक्षेत्रों जिसके अंतर्गत जंजावीद राज्यक्षेत्रों में परिचालित सभी गैर-सरकारी निकायों और व्यष्टियों को या भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा या भारतीय राज्यक्षेत्र से या भारतीय झंडे वाले जलयानों या वायुयानों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के आयुद्ध और संबंधित सामग्री, जिसके अंतर्गत हथियार और गोला-बारूद, सैन्य वाहन और उपस्कर, अर्द्धसैन्य उपस्कर और पूर्वोक्त के लिए अतिरिक्त पुर्जे, चाहे भारतीय राज्यक्षेत्र में उत्पादित हों या नहीं या तकनीकी प्रशिक्षण या सहायता संबंधी उपबंध, उत्पादन, रख-रखाव या ऐसी मदों के प्रयोग हेतु उपबंध या बिक्री या आपूर्ति की रोकथाम:

परंतु पूर्वोक्त आयुद्ध निषेध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:-

(i) आपूर्ति और संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण और देखरेख, सत्यापन या शांति समर्थित परिचालनों को सहायता, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राधिकृत किए गए क्षेत्रीय संगठनों द्वारा किए जा रहे ऐसे परिचालन या सुसंगत पक्षकारों की सहमति से परिचालित किए जा रहे [संकल्प 1556 (2004) के पैरा 9 के संदर्भानुसार] भी हैं;

(ii) केवल मानववादी, मानवाधिकार अनुवीक्षण या संरक्षात्मक उपयोग के लिए और संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता [संकल्प 1556 (2004) के पैरा 9 के संदर्भ] के लिए अभिप्रेत गैर-घातक सैन्य उपस्करों की आपूर्ति;

(iii) संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों, मानवाधिकार पर्यवेक्षकों, मीडिया के प्रतिनिधियों और मानवतावादी और विकास कार्यकर्ताओं और संबद्ध कार्मिकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए संरक्षात्मक संबंधी वस्त्रों पर, जिसके अंतर्गत फ्लैक जैकेट और सैन्य हेलमेट भी हैं, की आपूर्ति [संकल्प 1556 (2004) के पैरा 9 के संदर्भ]।

(2) समिति द्वारा अभिहित सभी व्यष्टियों को भारत के राज्यक्षेत्र के माध्यम से प्रवेश या अभिवहन रोकना परंतु इस पैरा में कही गई कोई भी बात भारत सरकार को अपने राष्ट्रिकों को अपने राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने से निवारित नहीं करेगी:

परंतु यह कि यात्रा पाबंदी से संबंधित पूर्वोक्त उपाबंध निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे अर्थात:-

(i) जहां समिति मामला दर मामला आधार पर अभिनिर्णित करती है कि ऐसी यात्रा मानवीय आवश्यकता, जिसके अंतर्गत धार्मिक बाध्यता भी है [संदर्भ संकल्प 1591 (2005) के पैरा 3 (च)] न्यायसंगत है;

(ii) जहां समिति यह निष्कर्ष निकालती है कि यह छूट सूडान और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के सृजन के लिए परिषद के उद्देश्य के संकल्पों को अन्यथा आगे बढ़ाएगी; [संदर्भ संकल्प 1591 (2005 के पैरा 3(च)]

(3) (क) ऐसी निधियों, वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों, जो भारत में स्थित हैं, को अविलंब स्थिर करता है और जो समिति द्वारा पदाभिहित व्यष्टियों के स्वामित्वाधीन हैं या उनके प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रणाधीन हैं या उनकी ओर से या उनके निदेश पर कार्य करने वाली समिति द्वारा या व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा या उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अस्तित्वों द्वारा पदाभिहित है;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी निधि, वित्तीय आस्ति या आर्थिक संसाधन भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किन्हीं व्यष्टियों या अस्तित्वों द्वारा समिति द्वारा पदाभिहित व्यष्टियों या अस्तित्वों को या उनके फायदे के लिए उपलब्ध किए जाने से रोका जा रहा है।

परंतु यह उन निधियों और अन्य आर्थिक उपायों को लागू नहीं होगा, जिन्हें भारत सरकार द्वारा अवधारित किया गया है:-

(i) मूलभूत व्ययों के लिए, जिनके अंतर्गत खाद्य पदार्थ, किराया या बंधक, औषधि और चिकित्सीय उपचार, करों, बीमा प्रीमियम और लोक उपयोक्ता प्रभार या अनन्य रूप से युक्तियुक्त वृत्तिक फीसों के संदाय और ऐसी निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों तक पहुंच, जहां समुचित हो, को प्राधिकृत करने के अपने आशय की भारत सरकार द्वारा समिति को अधिसूचना के पश्चात स्थिर निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों की नैत्यिक पुरोधरण या रखरखाव के लिए राष्ट्रीय विधियों के अनुसार विधिक सेवा या फीस या सेवा प्रभारों के उपबंध से सहयुक्त उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए और, ऐसी अधिसूचना के दो कार्यदिवसों के भीतर समिति के नकारात्मक विनिश्चयों के अभाव में, आवश्यक हो [संदर्भ संकल्प 1591 (2005) का पैरा 3(छ)(i)];

(ii) अधिसूचित तथा समिति द्वारा अनुमोदित असाधारण व्ययों के लिए आवश्यक हो।[संदर्भ संकल्प 1591 (2005) का पैरा 3(छ)(ii)];

(iii) किसी न्यायिक, प्रशासनिक या माध्यस्थम धारणाधिकार या निर्णय का विषय होना, जिस मामले में निधियां, अन्य वित्तीय आस्तियों और आर्थिक संसाधनों का उस धारणाधिकार या निर्णय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सके। परंतु धारणाधिकार या निर्णय, जो संकल्प 1591(2005) (29 मार्च, 2005) के अंगीकरण की तारीख से पहले किया गया था, पदाभिहित व्यक्ति या अस्तित्व के फायदे के लिए नहीं है और भारत सरकार द्वारा समिति को अधिसूचित कर दिया गया है [संदर्भ संकल्प 1591(2005) का पैरा 3(छ)(iii)];

अनुसूची

[अनुच्छेद 2 (ख) देखें]

संलग्नक 1

प्रस्ताव 1556 (2004)

सुरक्षा परिषद् द्वारा उसकी 5015वीं बैठक में पारित

30 जुलाई 2004

सुरक्षा परिषद्,

इसके अध्यक्ष द्वारा 25 मई 2004 (एस/पीआरएसटी/2004/16) के इसके वक्तव्य, 11 जून 2004 के इसके प्रस्ताव 1547 (2004) और 26 अगस्त 2003 के इसके ज़रूरतमंद आबादी के लिए मानवीय कार्यकर्ताओं की की पहुँच पर प्रस्ताव 1502 (2003) को याद करते हुए

दारफुर में स्थिति का सामना करने और इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन करने में अपनी तत्परता को अभिव्यक्त करने में अफ़्रीकी संघ के नेतृत्व की भूमिका और वचनबद्धता का स्वागत करते हुए

27 जुलाई 2004 को जारी अफ़्रीकी संघ शांति एवं सुरक्षा परिषद् की शासकीय सूचना (एस/2004/603) का आगे स्वागत करते हुए

20 जुलाई 2002 की मचाकोस संलेख और इस संलेख पर सूडान सरकार द्वारा सहमति प्राप्त उत्तरवर्ती समझौतों के साथ सुसंगत सूडान की संप्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए

3 जुलाई 2004 को सूडान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र महा सचिव द्वारा जारी शासकीय सूचना, जिसमें संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र का गठन और बेहतर मानवीय पहुँच की दिशा में लिए गए क़दमों को स्वीकार करना शामिल है, का स्वागत करते हुए

3 जून 2004 को जारी सूडान पर महा सचिव की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए और महा सचिव द्वारा सूडान के लिए विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति एवं आज तक के उनके प्रयासों का स्वागत करते हुए

जारी मानवीय संकट और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन, जिनमें कई सौ हज़ारों के जीवन को ख़तरे में डालते असैनिक नागरिकों पर लगातार हमले शामिल हैं, पर अपनी गंभीर चिंता जताते हुए

इस संकट में शामिल सभी पक्ष, विशेषकर जंजावीद, द्वारा हिंसा और मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय क़ानून के उल्लंघन, जिनमें असैनिक नागरिकों पर अंधाधुंध हमले, बलात्कार, जबरन विस्थापन, और हिंसा के कृत्य विशेषकर संजातीय आयामों से संबंधित कृत्य शामिल हैं, के सभी कृत्यों की निंदा करते हुए और असैनिक आबादी, जिनमें महिलाएं, बच्चे, आंतरिक विस्थापित लोग, और रिफ्यूजी शामिल हैं, पर पड़ने वाले दारफुर के संघर्ष के दुष्परिणामों पर अत्यंत चिंता दर्शाते हुए

सूडान सरकार पर क़ानून और व्यवस्था कायम रखते हुए और अपने क्षेत्रों में आबादी की सुरक्षा करते हुए साथ ही मानवाधिकारों के सम्मान की भी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है और सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का आदर करने के लिए बाध्य हैं, इस बात को याद रखते हुए

सभी पक्षों से मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के उल्लंघन से बचने और उनको समाप्त करने के लिए सभी क़दम उठाने के लिए आग्रह करते हुए और उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड-मुक्ति से इंकार को रेखांकित करते हुए

सूडान सरकार की अत्याचार की जांच करने और दोषियों पर मुकदमा चलाने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हुए

जंजावीद मिलिशिया को तत्काल निरस्त्र करने हेतु सूडान के सैन्य बलों को लामबंद करने की सूडान सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए

इस संबंध में अपने 31 अक्टूबर 2000 के महिला, शांति और सुरक्षा के प्रस्ताव 1325 (2000), 20 नवम्बर 2001 के प्रस्ताव 1379 (2001), 30 जनवरी 2003 के प्रस्ताव 1460 (2003), और 22 अप्रैल 2004 के सशस्त्र संघर्ष में बच्चे पर प्रस्ताव 1539 (2004), और 17 सितम्बर 1999 के 1265 (1999) और 19 अप्रैल 2000 के सशस्त्र संघर्ष में असैनिक नागरिकों की सुरक्षा पर प्रस्ताव 1296 (2000) प्रस्तावों को याद करते हुए

8 अप्रैल 2004 को न'जमिना में हस्ताक्षरित संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन की खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए, और संघर्ष विराम के सभी पक्षों को उसमें निहित सभी शर्तों का अनिवार्य पालन करना चाहिए, इस बात को दोहराते हुए

जून 2004 में जिनेवा में आयोजित दाता परामर्श और साथ ही सूडान और चाड में अति आवश्यक मानवीय ज़रूरतों को उभारते हुए और दाताओं को उनके द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की याद दिलाते उत्तरवर्ती पत्रसार का स्वागत करते हुए

10 लाख से अधिक लोगों को अति आवश्यक मानवीय सहायता की ज़रुरत है, कि वर्षा ऋतू के आगमन के साथ सहायता के प्रावधानों में आने वाली बाधा बढ़ रही है, और यह कि सुरक्षा, पहुँच, रसद, क्षमता और वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अति आवश्यक कार्यवाही के बिना कई सौ हज़ार लोगों का जीवन ख़तरे में होगा, इस बात को याद करते हुए

मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए ज़रुरत अनुसार आगे क़दम उठाने के लिए कार्यवाही करने सहित, हरसंभव क़दम उठाने की इसकी दृढ़ता को अभिव्यक्त करते हुए

रिफ्यूजीयों और विस्थापित लोगों की अपने घर में वापसी स्वेच्छा से और पर्याप्त सहायता तथा प्रयाप्त सुरक्षा के साथ हो, इस पर बल देते हुए

200,000 रिफ्यूजी पड़ौस के राष्ट्र चाड में पलायन कर गए हैं, जोकि उस देश पर गंभीर भार बन गया है, इस बात को गंभीर चिंता से लेते हुए, और सूडान के दारफुर क्षेत्र के जंजावीद मिलिशिया द्वारा सीमा पार चाड में घुसपैठ पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सूडान और चाड सरकार के बीच संयुक्त तंत्र को स्थापित करने के समझौते को भी ध्यान में लेते हुए

सूडान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा क्षेत्र की स्थिरता के लिए ख़तरा है इस बात का निर्धारण करते हुए

संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अध्याय VII के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए

1. सूडान सरकार 3 जुलाई 2004 के शासकीय पत्र में उसके द्वारा की गयी सभी प्रतिबद्धताओं को तत्काल रूप से पूरा करने के लिए कहती है, जिसमें विशेषतः प्रभावित आबादी को मानवीय सहायता और पहुँच के प्रावधान में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी प्रतिबंधों पर रोक लगाने के माध्यम से मानवीय त्रासदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता को सुकर बनाना, मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के उल्लंघन में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से स्वतंत्र जांच को बढ़ावा देना, असैनिक आबादी और मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय सुरक्षा स्थितियों को स्थापित करना, दारफुर क्षेत्र से असंतुष्ट गुटों, विशेषतः न्याय एवं समानता आन्दोलन (जेईएम) और सूडान मुक्ति आन्दोलन और सूडान मुक्ति सेना (एसएलएम/ए) के साथ राजनीतिक वार्ता को पुनरारंभ करना शामिल है;

2. सूडान के दारफुर क्षेत्र में अफ़्रीकी संघ के नेतृत्व में अफ़्रीकी संघ द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा बल सहित अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का अनुमोदन करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन प्रयासों के समर्थन को जारी रखने का आग्रह करती है, अफ़्रीकी संघ के सदस्यों द्वारा सुरक्षा बल प्रदान करने के प्रस्तावों सहित पर्यवेक्षकों की तैनाती के संबंध में हुई प्रगति का स्वागत करती है, और सूडान सरकार एवं सभी संबंधित पक्षों द्वारा न'जमिना संघर्षविराम समझौते तथा संघर्षविराम के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक मिशन स्थापित करने के प्रकार पर 28 मई 2004 के अद्दिस अबाबा समझौते के अनुसार पर्यवेक्षकों के कार्य को सुकर करने की आवश्यकता पर बल देती है;

3. पर्यवेक्षण कार्यवाहियों के लिए आवश्यक कर्मियों और ज़रूरतें जैसे वित्त, आपूर्ति, परिवहन, गाड़ियाँ, कमान समर्थन, संचार और मुख्यालय समर्थन सहित अन्य सहायता को प्रदान कर अफ़्रीकी संघ के नेतृत्व वाले, सुरक्षा बल सहित, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दल को सुदृढ़ करने का आग्रह करती है, और यूरोपियन संघ एवं यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा अफ़्रीकी संघ के नेतृत्व वाली कार्यवाही के समर्थन में पहले ही किये गए योगदानों का स्वागत करती है;

4. मानव अधिकार उच्चायुक्त द्वारा सूडान में मानव अधिकार पर्यवेक्षकों को भेजने के कार्य का स्वागत करती है और सूडान सरकार से इन पर्यवेक्षकों की तैनाती में उच्चायुक्त की सहायता करने का आवाहन देती है;

5. 8 अप्रैल 2004 के न'जमिना संघर्षविराम समझौते के सभी पक्षों से बिना विलम्ब के राजनीतिक समझौते को संपन्न करने का आग्रह करती है, अद्दिस अबाबा, इथियोपिया में 15 जुलाई की वार्ता में वरिष्ठ बागी नेताओं के शामिल होने की असफलता को प्रक्रिया के लिए असहयोगकारी मानते हुए उसका खेदपूर्वक संज्ञान लेती है और अफ़्रीकी संघ, और उसके प्रमुख मध्यस्थ हामिद अल्गाबिद के प्रयोजन के तहत, दारफुर के तनावों के लिए राजनीतिक हल निकालने के लिए नए सिरे से वार्ता का आवाहन देती है, और बागी गुटों से संघर्षविराम का आदर करने, हिंसा को तत्काल ख़त्म करने, बिना शर्त शांति वार्ता में भाग लेने, और संघर्ष के समाधान के लिए सकारात्मक और रचनात्मक ढंग से कार्य करने के लिए दृढ़ता से आग्रह करती है;

6. मांग करती है कि सूडान की सरकार जंजावीद मिलिशिया को निरस्त्र करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे और जंजावीद नेताओं और उनके सहयोगियों, जिन्होंने मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया है और अन्य अत्याचारों को भड़काया और अंजाम दिया है, को पकड़े और न्याय के सामने पेश करे, और आगे महासचिव से 30 दिनों के अन्दर, और उसके बाद हर महीने, इस विषय पर सूडान सरकार द्वारा की गयी प्रगति या उसके आभाव को परिषद् को सूचित करने का निवेदन करती है और गैर अनुपालन की स्थिति में, सूडान सरकार पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अनुच्छेद 41 में प्रदत्त कदमों सहित आगे की कार्यवाही करने की अपनी मंशा प्रगट करती है;

7. निर्णय लेती है कि सभी राष्ट्र उत्तर दारफुर, दक्षिण दारफुर और पश्चिम दारफुर के राज्यों में जंजावीद सहित, काम करने वाले, सभी गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को, उनके नागरिकों या उनके प्रदेशों या उनके झंडे वाले समुंद्री जहाज़ों या हवाई जहाज़ों द्वारा, शस्त्र और उससे सम्बंधित संभी प्रकार की सामग्री, जिनमें हथियार और गोला बारूद, सेना, वाहन और उपकरण, अर्ध सैनिक उपकरण, और पूर्वोक्त के लिए अतिरिक्त कलपुर्ज़े, चाहे वे उनके प्रदेशों से उत्पन्न हुए या नहीं, शामिल हैं, की बिक्री या आपूर्ति को रोकने के लिय ज़रूरी कदम उठाएंगे;

8. निर्णय लेती है की सभी राष्ट्र उत्तर दारफुर, दक्षिण दारफुर और पश्चिम दारफुर के राज्यों में काम कर रहे अनुच्छेद 7 में पहचान किये गए गैर सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को उनके नागरिकों या उनके प्रदेशो द्वारा अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट वस्तुओं के प्रावधान, उत्पादन, रखरखाव या उपयोग से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण या सहायता के किसी प्रावधान को रोकने हेतु ज़रूरी कदमों को उठाएंगे;

9. निर्णय लेती है कि अनुच्छेद 7 और 8 में अधिरोपित क़दम निम्न में लागू नहीं होंगे:

(i) आपूर्ति तथा संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण और निगरानी, जांच पड़ताल या शांति समर्थन कार्यवाहियों की सहायता, जिनमें क्षेत्रीय संगठनों के नेतृत्व में ऐसी कार्यवाहियां शामिल हैं, जोकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत हैं या संबंधित पक्षों की सहमति से [प्रस्ताव 1556 (2004)का अनुच्छेद 9 का संदर्भ] संचालित हो रही हैं;

(ii) केवल मानवीय, मानव अधिकारों की निगरानी या सुरक्षात्मक उपयोग के लिए अभिप्रेत गैर घटक सैन्य उपकरण की आपूर्ति, और संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता [प्रस्ताव 1556 (2004) के अनुच्छेद 9 का संदर्भ]

(iii) संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी, मानव अधिकार निरीक्षकों, मीडिया के प्रतिनिधियों और मानवीय और विकास कार्यकर्ताओं और संबंधित कर्मचारीयों के निजी उपयोग के लिए फ्लैक जैकेट और सैन्य हेलमेटों सहित सुरक्षात्मक कपड़ों की आपूर्ति [प्रस्ताव 1556 (2004) के अनुच्छेद 9 का संदर्भ];

10. अनुच्छेद 7 एवं 8 में अधिरोपित कदमों का संशोधन या समाप्त करने के लिए विचार में लाने की अपनी मंशा अभिव्यक्त करती है जब वह निर्धारित करेगी कि

    सूडान सरकार ने अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी कर दी हैं;

11. सूडान सरकार और सूडान जन मुक्ति आंदोलन द्वारा हस्ताक्षरित नैवाशा समझौते के अपने समर्थन को दोहराती है, और समझौते के प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सूडान के विकास के लिए दुसरे राष्ट्रों के साथ सामंजस्य के साथ काम करते एक शांतिप्रिय, संगठित सूडान की प्रतीक्षा करती है, तथा सूडान में शांति और आर्थिक विकास के समर्थन के लिए आवश्यक वित्त पोषण सहित निरंतर आदान प्रदान के लिए तैयार रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आवाहन करती है;

12. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दारफुर क्षेत्र में वर्तमान में प्रकट हो रही मानवीय त्रासदी को कम करने की लिए अत्यावश्यक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह करती है और सदस्य राष्ट्रों को दारफुर और चाड की आवश्यकताओं के प्रति की गयी अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने तथा संयुक्त राष्ट्र समेकित आग्रहों के पूरे न किये गए भाग की पूर्ती हेतु उदारतापूर्ण योगदान की ज़रुरत पर बल देने का आवाहन देती है;

13. महासचिव से मानवीय त्रासदी से बचने के लिए अन्य आवश्यक उपायों पर विचार करने और हासिल की गयी प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से परिषद् को देने के लिए अंतर-संस्था मानवीय युक्तियों को सक्रीय करने का अनुरोध करती है;

14. महासचिव के सूडान के लिए विशेष प्रतिनिधि और मानव अधिकार आयोग के स्वतंत्र विशेषज्ञ को सूडान सरकार के साथ निकटता से दारफुर क्षेत्र में मानव अधिकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के उल्लंघन की स्वतंत्र जांच के समर्थन में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है;

15. प्रस्ताव 1547 में वर्णित विशेष राजनीतिक मिशन को 10 दिसंबर 2004 तक 90 अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ाती है तथा महासचिव से इस मिशन में दारफुर क्षेत्र के लिए आकस्मिक योजना को शामिल करने का अनुरोध करती है;

16. अफ़्रीकी संघ के नेतृत्व में दारफुर क्षेत्र में संघर्षविराम आयोग और पर्यवेक्षण मिशन को इसका पूरा समर्थन व्यक्त करती है, और महासचिव से दारफुर में उसके मिशन की योजना और आंकलन के लिए, तथा संयुक्त शासकीय पत्र के अनुसार अफ़्रीकी संघ के निकट सहयोग से दारफुर में भावी समझौते के कार्यान्वयन के समर्थन की तैयारी करने के लिए अफ़्रीकी संघ को सहायता प्रदान करने का अनुरोध करती है;

17. इस मामले को अधिकार में रखने का निर्णय लेती है

संलग्नक 2
प्रस्ताव 1591 (2005)
सुरक्षा परिषद् द्वारा उसकी 5153वीं बैठक में पारित
29 मार्च 2005

सुरक्षा परिषद्,

इसके 11 जून 2004 के 1547 (2004), 30 जुलाई 2004 के 1556 (2004), 18 सितंबर 2004 के 1556 (2004), 19 नवम्बर 2004 के 1574 (2004), 10 मार्च 2005 के 158 (2005) 17 मार्च 2005 के 1588 (2005) और 24 मार्च 2005 के 1590 प्रस्तावों, तथा सूडान संबंधी इसके अध्यक्ष के बयानों का याद करते हुए,

सूडान की संप्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, और अच्छे पड़ौस, गैर हस्तक्षेप और क्षेत्रीय सहयोग के सिद्धांतों के महत्व को याद करते हुए

8 अप्रैल के न'जमिना संघर्षविराम समझौते और सूडान सरकार, सूडान मुक्ति आंदोलन/सेना (एसएलएम/ए) एवं न्याय व समानता आंदोलन (जेईएम) के बीच 9 नवम्बर 2004 को हुए अबुजा मानवीय एवं सुरक्षा मसौदे में पक्षों द्वारा दी गयी प्रतिबद्धताओं को याद करते हुए, और सूडान सरकार एवं महासचिव के बीच 3 जुलाई 2004 के संयुक्त शासकीय पत्र में की गयी प्रतिबद्धताओं को याद करते हुए

9 जनवरी 2005 को नैरोबी, केन्या में सूडान सरकार (जीओएस) एवं सूडान जन मुक्ति आंदोलन/सेना (एसपीएलएम/ए) के बीच व्यापक शांति समझौते पर हुए हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए

स्वीकार करते हुए कि व्यापक शांति समझौते के सभी पक्षों को पुरे देश में शांति और स्थिरता लाने के लिए समझौते को मज़बूत करना होगा, सूडान के सभी पक्षों, विशेषतः व्यापक शांति समझौते के जुड़े पक्षों, को दारफुर में संघर्ष के शांतिपूर्ण हल को हासिल करने के लिए सभी क़दम उठाने तथा मानव अधिकारों व अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के और उल्लंघनों से बचने के लिए की जाने वाली सभी कार्यवाहियों को करने और दारफुर क्षेत्र सहित सभी जगह दंड मुक्ति को समाप्त करने का आवाहन देते हुए

पूरे सूडान के साथ साथ दारफुर क्षेत्र में दीर्धकालीन संघर्ष के भयानक परिणामों, विशेषतः रिफ्यूजी एवं आंतरिक विस्थापितों की संख्या में वृद्धि, पर अपनी परम चिंता व्यक्त करते हुए

ध्यान में रखते हुए कि रिफ्यूजी और आंतरिक विस्थापितों की स्वैच्छिक एवं सतत वापसी शांति प्रक्रिया को मज़बूत करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा

मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा एवं ज़रुरतमंद आबादी, जिनमें रिफ्यूजी, आंतरिक विस्थापित और अन्य युद्ध प्रभावित आबादी शामिल है, तक उनकी पहुँच पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए
दारफुर में सभी पक्षों द्वारा 8 अप्रैल 2004 के न'जमिना संघर्षविराम समझौते और 9 नवम्बर 2004 के अबुजा मसौदे के निरंतर उल्लंघन और इससे सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने और मानवीय सहायता प्रयासों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की निंदा करते हुए

दारफुर क्षेत्र में मानव अधिकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवीय अधिकारों के सभी उल्लंघनों, विशेषतः प्रस्ताव 1574 (2004) के पारित होने के बाद से असैनिकों के प्रति निरंतर जारी हिंसा और महिलाओं और किशोरियों के प्रति यौन हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए, सभी पक्षों से इसके आगे उल्लंघन को रोकने के लिए ज़रूरी क़दम उठाने का आग्रह करते हुए, और ऐसे सभी उल्लंघनों के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान कर और उन्हें बिना विलम्ब क़ानून के सामने पेश करना सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को व्यक्त करते हुए

स्वीकार करते हुए कि व्यापक शांति समझौते के कार्यान्वयन की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है, ज़ोर देते हुए कि दारफुर में संघर्ष के हल की ओर की गयी प्रगति ऐसी सहायता के प्रतिपादन हेतु अनुकूल परिस्थियाँ पैदा करेगी, और चिंतित होते हुए कि दारफुर में हिंसा फिर भी बरकरार है

प्रस्ताव 1556 (2004), 1564 (2004), और 1574 (2004) प्रस्तावों की मांगों, कि दारफुर संघर्ष के सभी पक्ष असैनिकों के प्रति हिंसा से बचें और दारफुर में अफ़्रीकी संघ मिशन से पूरा सहयोग करें, को याद करते हुए

दारफुर पर 16 फ़रवरी 2005 के न'जमिना शिखर सम्मलेन और अफ़्रीकी संघ की सभी प्रकार से दारफुर में संघर्ष के हल को सुकर बनाने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाने की निरंतर प्रतिबद्धता, तथा 16 फ़रवरी 2005 की सूडान सरकार की घोषणा कि वह दारफुर में लबादो, क़रिफा, और मरला से अपने बलों की वापसी सहित तत्काल क़दम उठायेगी, और दारफुर से उसके अन्तोनोव हवाई जहाज़ की वापसी का स्वागत करते हुए

अफ़्रीकी संघ, विशेषतः उसके अध्यक्ष, के प्रयासों की सराहना करते हुए, अफ़्रीकी संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल, पुलिस, और सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती के संबंध में की गयी प्रगति को स्वीकार करते हुए, तथा सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा दारफुर में अफ़्रीकी संघ मिशन को उदारतापूर्ण और तत्काल योगदान करने का आवाहन करते हुए

महिला, शांति और सुरक्षा पर 1325 (2000), सशस्त्र संघर्षों में बच्चों पर 1379 (2001) एवं 1460 (2003), साथ ही सशस्त्र संघर्षों में असैनिकों की सुरक्षा पर 1265 (1999) एवं 1296 (2000) तथा मानवीय और संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर 1502 (2003) प्रस्तावों की पुष्टि करते हुए

महासचिव की 31 जनवरी 2005 (एस/2005/57 एवं अति1), 3 दिसंबर 2004 (एस/2005/947), 4 फ़रवरी 2005 (एस/2005/68) और 4 मार्च 2005 (एस/2005/140) की रिपोर्ट और साथ ही 25 जनवरी 2005 की अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट (एस/2005/60) का संज्ञान लेते हुए

निर्धारित करते हुए कि सूडान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए निरंतर ख़तरा बनी हुई है

संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अध्याय VII के तहत कार्य करते हुए

1. कठोरता से खेद प्रकट करती है कि सूडान सरकार एवं बागी बल एवं दारफुर के अन्य सशस्त्र गुट प्रस्तावों 1556 (2004), 1564 (2004) और 1574 (2004) में संदर्भित अपनी प्रतिबद्धताओं तथा परिषद् की मांगों के पूर्ण अनुपालन में असफल रहे हैं; 8 अप्रैल 2004 के न'जमिना संघर्षविराम समझौते तथा 9 नवम्बर 2004 अबुजा मसौदे के चल रहे उल्लंघन, जिनमें सूडान सरकार द्वारा दिसंबर 2004 और जनवरी 2005 के हवाई हमले और जनवरी 2005 में दारफुर गांवों में बागी हमले शामिल हैं, और जंजावीद सैनिकों को निरस्त्र करने एवं पकड़ने और जंजावीद नेतृत्व और उनके सहयोगी, जिन्होंने मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन एवं अन्य अत्याचार किये हैं, को न्याय के सामने पेश करने की असफलता की निंदा करती है; और मांग करती है कि सभी पक्ष न'जमिना संघर्षविराम समझौते एवं अबुजा मसौदे, जिनमें मानवीय सहायता को सुकर करने के लिए बलों की स्थिति शामिल है, का सम्मान करने की अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक क़दम उठाएं तथा अफ़्रीकी संघ मिशन से पूर्णतया सहयोग करें;

2. बल देती है कि दारफुर संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं है, और सूडान सरकार और बागी गुट, विशेषतः न्याय व समानता आंदोलन एवं सूडान मुक्ति आंदोलन/सेना, से बिना शर्त शीघ्रता से अबुजा मसौदे पर वार्ता पुनः आरम्भ करने और शीघ्र समझौते पर पहुँचने के लिए नेक नियत के साथ वार्ता करने का आवाहन करती है, तथा व्यापक शांति समझौते के पक्षों से अबुजा वार्ता के समर्थन में सक्रीय व रचनात्मक भूमिका निभाने तथा दारफुर संघर्ष के शांतिपूर्ण हल के समर्थन हेतु तात्कालिक क़दम उठाने का आग्रह करती है;

3. निर्णय लेती है कि दारफुर संघर्ष के सभी पक्षों द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफलता की रौशनी में,

   (क) उसकी प्रक्रिया के अनंतिम प्रावधानों के नियम 28 के अनुसरण में, परिषद् के सभी सदस्यों से मिलकर बनी सुरक्षा परिषद् की समिति (इसके पश्चात "समिति") का गठन करती है, जो निम्न कार्यों का उपक्रम लेगी:

      (i) इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद (घ) एवं (ङ) तथा प्रस्ताव 1556 (2004) के अनुच्छेद 7 एवं 8 तथा नीचे अनुच्छेद 7 में संदर्भित उपायों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने का;

      (ii) इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद (घ) एवं (ङ) द्वारा अधिरोपित उपायों के आधीन ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने का तथा उप अनुच्छेद (च) एवं (छ) के अनुसरण में छूट के निवेदनों पर विचार करने का;

      (iii) उप अनुच्छेद (घ) एवं (ङ) द्वारा अधिरोपित उपायों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक ऐसे दिशानिर्देशों को स्थापित करने का

      (iv) सुरक्षा परिषद् को अपने कार्यों की कम से कम हर 90 दिनों में रिपोर्ट देने का;

      (v) नीचे अनुच्छेद 7 के अनुसरण दारफुर क्षेत्र में सैन्य उपकरण एवं आपूर्ति की आवाजाही हेतु सूडान सरकार के निवेदन पर विचार करने तथा, जैसा उचित हो, पूर्व अनुमति प्रदान करने का;

      (vi) इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद (ख) के तहत स्थापित विशेषज्ञों के पैनल और सदस्य राष्ट्रों, विशेषतः उस क्षेत्र के, द्वारा नीचे दिए अनुच्छेद 7 के उप अनुच्छेद (घ) एवं (ङ) द्वारा अधिरोपित उपायों के कार्यान्वयन हेतु उनके द्वारा लिए गए विशिष्ट क़दमों की रिपोर्ट के आंकलन का;

      (vii) समिति और इच्छुक सदस्य राष्ट्र, विशेषतः वे जो इस क्षेत्र में है, के बीच वार्ता को प्रोतिसाहित करने का, जिसमें ऐसे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ उपायों के कार्यान्वयन पर विमर्श के लिए आमंत्रित करना शामिल है;

   (ख) समिति के परामर्श से महासचिव को, इस प्रस्ताव के पारित होने के 30 दिनों के अन्दर, छ महीने की अवधि के लिए, अद्दिस अबाबा में स्थित और चार सदस्यों द्वारा सम्मिलित विशेषज्ञ पैनल बनाने का अनुरोध करना, जो नियमित रूप से एल-फशेर, सूडान और सूडान में अन्य स्थानों की नियमित यात्रा करेगा, तथा निम्न कार्यों को उपक्रमित करने के लिए समिति के निर्देश के तहत संचालित होगा:

(i) इस प्रस्ताव के अनुच्छेद 7 तथा प्रस्ताव 1556 (2004) के अनुच्छेद 7 एवं 8 के उप अनुच्छेद (घ) एवं (ङ) के उपायों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने में सहायता करने, तथा परिषद् द्वारा विचार किये जा सकने वाली कार्यवाहियों पर समिति को सिफ़ारिश करने;

(ii) समिति को अपने कार्यों पर मध्यावधि पत्रसार, तथा इस प्रस्ताव के पारित होने के 90 दिनों के अन्दर एक अंतरिम रिपोर्ट, तथा समिति के माध्यम से परिषद् को उसके अधिदेश के समाप्त होने से 30 दिन पहले की अवधि के अन्दर उसकी जांच और सिफ़ारिशों के साथ एक अंतिम रिपोर्ट प्रदान करना;

(iii) सूडान में अफ़्रीकी संघ मिशन (एएमआईएस) की चल रही कार्यवाहियों के उचित अनुसार उसकी गतिविधियों का समन्वयन करना;

(ग) कि वे व्यक्ति, जो पूर्वोक्त उप अनुच्छेद (क) द्वारा गठित समिति द्वारा, सदस्य राष्ट्रों, महासचिव, मानवाधिकार उच्चायुक्त या पूर्वोक्त इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद (ख) के तहत गठित विशेषज्ञ पैनल, और अन्य स्त्रोतों की सूचना के आधार पर, नामित हैं, तथा जो शांति प्रक्रिया में रूकावट हैं, दारफुर एवं क्षेत्र की स्थिरता के लिए ख़तरा पैदा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय या मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं या अन्य अत्याचार करते हैं, प्रस्ताव 1556 (2004) के अनुच्छेद 7 व 8 के अनुसार सदस्य राष्ट्रों द्वारा लागू किये जा रहे उपायों तथा इस एक राष्ट्र द्वारा इस प्रस्ताव के अनुच्छेद 7 के कार्यान्वयन का उल्लंघन करते हैं, या इस प्रस्ताव के अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट आक्रामक सैन्य उड़ानों के लिए ज़िम्मेदार हैं, नीचे दिए गए उप अनुच्छेद (घ) व (ङ) में निर्दिष्ट उपायों के आधीन होंगे;

(घ) कि सभी राष्ट्र पूर्वोक्त उप अनुच्छेद (ग) के अनुसरण में समिति द्वारा नामित सभी व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रवेश या पारगमन से रोकने के लिए आवश्यक उपाय लेंगे, प्रदान किया गया कि इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं जो एक राष्ट्र को अपने क्षेत्र में अपने नागरिकों के प्रवेश को इंकार करने के लिए बाध्य बना सके:

(ङ) कि सभी राष्ट्र इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से या उसके बाद किसी भी समय से उनके प्रदेशों में मौजूद सभी निधि, वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को, जोकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूर्वोक्त उप अनुच्छेद (ग) के अनुसरण में समिति द्वारा नामित व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से या उनके निर्देश पर काम कर रहे लोगों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं द्वारा अधिकार में हैं, पर रोक लगायेंगे, और आगे निर्णय लेती है कि सभी राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के फायदे में या फायदे के लिए, उनके नागरिकों या उनके प्रदेशों में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, कोई भी निधि, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध न कराये जाएँ;

(च) कि पूर्वोक्त उप अनुच्छेद (घ) द्वारा अधिरोपित उपाय जहाँ पूर्वोक्त उप अनुच्छेद (क) द्वारा गठित समिति प्रत्येक मामले के आधार पर निर्णय ले कि ऐसी यात्रा धार्मिक दायित्वों सहित मानवीय आवश्यकता के आधार पर न्यायसंगत है या जहाँ समिति यह निष्कर्ष निकलती है कि ऐसी छूट सूडान और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के निर्माण हेतु समिति के प्रस्तावों के उद्देश्यों को भिन्न प्रकार से आगे बढ़ाएगी;

(छ) कि इस प्रस्ताव के उप अनुच्छेद (ङ) द्वारा अधिरोपित उपाय उन निधियों, वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों पर लागू नहीं होंगे जहाँ:

(i) संबंधित राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये खाद्यपदार्थों के भुगतान, किराये या रेहन, दवाइयों और स्वास्थ्य चिकित्सा, करों, बीमा प्रीमियम और जन सुविधा शुल्कों सहित बुनियादी ख़र्चों, या उचित पेशेवर शुल्क और कानूनी सेवाओं के प्रावधानों के संबंध में किये गए ख़र्चों की भरपाई , या राष्ट्रिय कानूनों के अनुसार शुल्क या सेवा कर, रोकी गई निधि, अन्य वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों के दिनचर्या बनाये रखने या रखरखाव के लिए आवश्यक है, और संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को, जहाँ उचित हो, ऐसी निधि, अन्य वित्तीय संपत्ति और आर्थिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने की अधिकृति देने की अपनी मंशा को सूचित किया है और ऐसी सूचना के दो कार्य दिवसों के अंदर समिति द्वारा नकारात्मक निर्णय के आभाव में;

(ii) संबंधित राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो असाधारण ख़र्चों के लिए आवश्यक है, प्रदान किया गया कि ऐसा निर्धारण संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को अधिसूचित कर दिया गया है और समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है; या

(iii) संबंधित राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किया गया है कि न्यायिक, प्रशासनिक या मध्यस्तता धारणाधिकार या न्यायिक निर्णय के आधीन है, जिस स्थिति में निधि, या अन्य वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उस धारणाधिकार या न्यायिक निर्णय के पालन में उपयोग में लाये जा सकते हैं बशर्ते कि धारणाधिकार या न्यायिक निर्णय प्रस्ताव 1591 (2005) के पारित होने की तिथि (29 मार्च 2005) से पहले की अवधि का है और समिति द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था के फ़ायदे के लिए नहीं है, और संबंधित राष्ट्रों द्वारा समिति को अधिसूचित कर दिया गया है;

4. निर्णय लेती है कि उप अनुच्छेद 3 (घ) एवं (ङ) में संदर्भित उपाय इस प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से 30 दिनों में प्रभाव में आयेंगे, जबतक कि सुरक्षा परिषद् उससे पहले निर्णय न ले कि दारफुर संघर्ष के पक्षों ने पूर्वोक्त अनुच्छेद और नीचे दिए गए अनुच्छेद 6 में संदर्भित सभी प्रतिबद्धताओं एवं मांगों का अनुपालन कर लिया है;

5. अनुच्छेद 3 के तहत उपायों के संशोधन या समापन पर, समिति की सिफारिश पर या इस प्रस्ताव के पारित होने की 12 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, या पहले अगर उससे पहले सुरक्षा परिषद् निर्णय लेती है कि दारफुर संघर्ष के पक्षों ने पूर्वोक्त अनुच्छेद 1 और नीचे दिए गए अनुच्छेद 6 में संदर्भित सभी प्रतिबद्धताओं एवं मांगों का अनुपालन कर लिया है, विचार करने कि इच्छा व्यक्त करती है;

6. मांग करती है कि सूडान सरकार, 8 अप्रैल 2004 के न'जमिना संघर्षविराम समझौते तथा 9 नवम्बर 2004 के अबुजा सुरक्षा मसौदे के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार, दारफुर क्षेत्र में और उसके ऊपर आक्रमक सैन्य उड़ानों का संचालन तत्काल बंद कर दे, और अफ़्रीकी संघ संघर्षविराम समिति को महासचिव, समिति, या अनुच्छेद 3 (ख) के तहत स्थापित विशेषज्ञ पैनल के साथ इस संबंध में जैसा उपयुक्त हो उचित जानकारी सांझी करने का निमंत्रण देती है;

7. प्रस्ताव 1556 (2004) के अनुच्छेद 7 एवं 8 द्वारा अधिरोपित उपायों की पुष्टि करती है, और निर्णय लेती है कि ये उपाय प्रस्ताव पारित होने के तत्काल बाद, न'जमिना संघर्षविराम समझौते के सभी पक्षों और उत्तर दारफुर, दक्षिण दारफुर और पश्चिम दारफुर के राज्यों में अन्य लड़ाकुओं पर भी लागू होंगे; निर्णय लेती है कि ये उपाय प्रस्ताव 1556 (2004) के अनुच्छेद 9 में सूचित आपूर्तियों तथा संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता पर लागू नहीं होंगे; निर्णय लेती है कि ये उपाय व्यापक शांति समझौते के कार्यान्वयन के समर्थन में प्रदान की जाने वाली सहायता और आपूर्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे; आगे निर्णय लेती है कि ये उपाय सूडान सरकार के अनुरोध पर अनुच्छेद 3 (क) के तहत स्थापित समिति द्वारा दारफुर क्षेत्र में अग्रिम रूप से स्वीकृत सैन्य उपकरणों एवं आपूर्ति की आवाजाही पर लागू नहीं होंगे; और अफ़्रीकी संघ संघर्षविराम समिति को महासचिव, समिति, या अनुच्छेद 3 (ख) के तहत स्थापित विशेषज्ञ पैनल के साथ इस संबंध में जैसा उपयुक्त हो उचित जानकारी सांझी करने का निमंत्रण देती है;

8. दोहराती है कि, अगर पक्ष अनुच्छेद 1 एवं 6 में उल्लिखित अपने प्रतिबद्धताओं और मांगो को पूरा करने में असफल रहते हैं, और दारफुर की स्थिति निरंतर बिगड़ती ही जाती है, तो परिषद् संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद 41 में प्रदत्त आगे के उपायों पर विचार करेगी;

9. इस मामले को अधिकार में रखने का निर्णय लेती है

संलग्नक 3
1591 (2005) समिति द्वारा
स्थापित एवं अनुरक्षित सूची

सूची संयोजन
सूची में नीचे निर्दिष्ट दो अनुभाग निहित हैं:

क. <u>व्यक्ति</u>

ख. <u>संस्थाएँ व अन्य गुट</u>

असूचियन के बारे में जानकारी समिति की वेब साईट http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml पर उपलब्ध है.

क.

एसडीआई.003 नाम: 1: आदम 2: याकूब 3: शरीफ़ 4: लागू नहीं (ल/न)
उपाधि: ल/न **पद:** सूडान मुक्ति सेना कमांडर **जन्म तिथि:** लगभग 1976 **जन्म स्थान:**
उच्च कोटि उर्फ़: क) आदम याकूब शांत ख) आदम याकूब **निम्न कोटि उर्फ़:** ल/न
राष्ट्रीयता: ल/न **पासपोर्ट:** ल/न **राष्ट्रिय पहचान संख्या:** ल/न
पता: ल/न **तिथि पर सूचित:** 25 अप्रैल 2006
अन्य जानकारी: कथित तौर पर 7 जून 2012 को मृत

एसडीआई.001 नाम: 1: गफ्फार 2: मोहम्मद 3: एलहसन 4: लागू नहीं (ल/न)
उपाधि: ल/न **पद:** मेजर-जनरल तथा सूडान सशस्त्र बल (एसएएफ़) के पश्चिमी सैन्य क्षेत्र का कमांडर **जन्म तिथि:** 24 जून 1952 **जन्म स्थान:**
उच्च कोटि उर्फ़: क) गफ्फार मोहमद एलहसन **निम्न कोटि उर्फ़:** ल/न

राष्ट्रीयता: ल/न **पासपोर्ट:** ल/न **राष्ट्रिय पहचान संख्या:** पूर्व सैनिक पहचान पत्र 4302
पता: एल वाहा, ओम्दुर्मन, सूडान **तिथि पर सूचित:** 25 अप्रैल 2006
अन्य जानकारी: सूडान सेना से सेवानिवृत्त

एसडीआई.004 नाम: 1: जिब्रील 2: अब्दुलकरीम 3: इब्राहीम 4: मायू
उपाधि: ल/न **पद:** राष्ट्रिय सुधार एवं विकास आन्दोलन (एनएमआरडी) फील्ड कमांडर
जन्म तिथि: 1 जनवरी 1967 **जन्म स्थान:** एल-फशेर, उत्तर दारफुर (जन्म स्थान: नील जिला, एल फशेर, उत्तर दारफुर) **उच्च कोटि उर्फ़:** क) जनरल गिब्रिल अब्दुल करीम बारे ख) "टेक" (ग) गब्रिल अब्दुल करीम बद्री **निम्न कोटि उर्फ़:** ल/न **राष्ट्रीयता:** जन्म से सूडानी
पासपोर्ट: ल/न
राष्ट्रिय पहचान संख्या: क) 192-3238459-9 ख) जन्म द्वारा अर्जित राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र 302581
पता: तिने, सूडान (तिने का निवासी, चाड सीमा पर सूडान की तरफ)**तिथि पर सूचित:** 25 अप्रैल 2006
अन्य जानकारी:

एसडीआई.003 नाम: 1: मूसा 2: हिलाल 3: अबदल्ला 4: अलनसीम
उपाधि: ल/न **पद:** क) सूडान की राष्ट्रिय सभा का सदस्य ख) सूडान के राष्ट्रपति द्वारा 2008 में संघीय मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त ग) उत्तर दारफुर की जलूल जनजाति का प्रमुख मुखिया **जन्म तिथि: क)** 1 जनवरी 1964, ख) 1959 **जन्म स्थान:** कुटुम
उच्च कोटि उर्फ़: ल/न **निम्न कोटि उर्फ़:** क) (शेख) मूसा हिलाल ख) अब्द अल्लाह ग) अब्दल्लाह घ) अल्नासिम ङ) अल नसिम च) अल्नासीम छ) अल नसीम ज) अल्नास्सीम झ) अल नस्सीम
राष्ट्रीयता: ल/न **पासपोर्ट:**कूटनीतिज्ञ पासपोर्ट डी014433, 21 फ़रवरी 2013 को जारी (21 फरवरी 2015 को समाप्त)
राष्ट्रिय पहचान संख्या: राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र ए0680623
पता: क) कब्कबिया, सूडान ख) कुटुम, सूडान (कब्कबिया तथा कुटुम, उत्तर दारफुर के शहर का निवासी और खारर्तूम में निवास किया है
तिथि पर सूचित: 25 अप्रैल 2006
अन्य जानकारी:

ख.संस्थाएँ व अन्य गुट

[फा. सं. यू.II/152/5/2016]
रुद्रेंद्र टंडन, संयुक्त सचिव (यूएनपी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 5th September 2016

S.O. 2875(E).— Whereas the Security Council of the United Nations in its 5015th Meeting adopted Resolution 1556 (2004) [appended to this Order as Annexure 1], under Chapter VII of the Charter of the United Nations which required all States to take necessary measures to prevent the sale or supply, to all non-governmental entities and individuals, including the Janjaweed, operating in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories and paragraph 8 of the resolution which required all States to take necessary measures to prevent any provision to the non-governmental entities and individuals identified in above paragraph operating in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur by their nationals or from their territories of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items listed in above paragraph;

And whereas the Security Council of the United Nations in its 5153rd Meeting adopted Resolution 1591 (2005) which required all States to take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated by the Committee established by the resolution and paragraph 3 (e) of the resolution which required all States to freeze all funds, financial assets and economic resources that are on their territories on the date of adoption of the resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons designated by the Committee, or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons or by persons acting on their behalf or at their direction and to ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any persons within their territories to or for the benefit of such persons or entities;

And whereas, Resolution 2265(2016) of the Security Council of the United Nations require States to fully implement the provisions contained in Resolutions 1556(2004), 1591(2005), 1651(2005), 1665(2006),1672(2006), 1679(2006),

1713(2006), 1779(2007), 1841(2008), 1891(2009), 1945(2010), 1982(2011), 2035(2012), 2091(2013), 2138(2014) and 2200(2015);

And whereas, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations to protect the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Sudan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order to give effect to the said Resolutions, namely:-

1. **Short title and commencement . -** (1) This Order may be called the Implementation of the United Nations Security Council Resolutions on Sudan Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions . -** (1) In this Order, unless the context otherwise requires, -

(a) "Resolution" means the Resolution 1556 of 2004 of the Security Council of the United Nations adopted on 30th July, 2004 and includes Resolutions 1591(2005), 1651(2005), 1665(2006),1672(2006), 1679(2006), 1713(2006), 1779(2007), 1841(2008), 1891(2009), 1945(2010), 1982(2011), 2035(2012), 2091(2013), 2138(2014) and 2200(2015) adopted by the Security Council ;

(b) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order, drawn on the basis of the determination made by the Security Council in their said Resolutions;

(c) "Committee" means the Committee established by the Security Council of the United Nations in accordance with paragraph 3(a) of Resolution 1591(2005).

(2) Words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.

3. **Application of Order to individuals and entities: -** The provisions of this Order, as amended from time to time, shall apply to individuals and entities listed in Annexure 3 and includes individuals and entities as designated by the Committee from time to time and updated and specified on their website: http://www.un.org/sc/committees/1591/1591.htm

4. **Powers of the Central Government to give effect to the Resolutions . -** The Central Government shall have all the powers to take necessary measures to,

(1) prevent the sale or supply or provision to all non-governmental entities and individuals, including the Janjaweed, operating in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur, by Indian nationals or from Indian territory or using Indian flag vessels or aircraft, of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in Indian territory or of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such items:

Provided that the aforesaid arms embargo shall not apply to .-

(i) supplies and related technical training and assistance to monitoring, verification or peace support operations, including such operations led by regional organizations, that are authorized by the United Nations or are operating with the consent of the relevant parties (Reference paragraph 9 of resolution 1556(2004));

(ii) supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian, human rights monitoring or protective use, and related technical training and assistance (Reference paragraph 9 of resolution 1556(2004));

(iii) supplies of protective clothing, including flak jackets and military helmets, for the personal use of United Nations personnel, human rights monitors, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel (Reference paragraph 9 of resolution 1556(2004)).

(2) prevent the entry into or transit through the territory of India of all persons designated by the Committee, provided that nothing in this paragraph shall oblige Government of India to refuse its own nationals entry into its territory:

Provided that the aforesaid travel ban shall not apply .-

(i) where the Committee determines on a case by case basis that such travel is justified on the ground of humanitarian need, including religious obligation (Reference paragraph 3(f) of resolution 1591(2005));

(ii) where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of the Council's resolutions for the creation of peace and stability in Sudan and the region (Reference paragraph 3(f) of resolution 1591(2005));

(3) (a) freeze all funds, financial assets and economic resources that are located in Indian territory that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons designated by the Committee or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons or by persons acting on their behalf or at their direction;

(b) ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by Indian nationals or by any persons within Indian territory to or for the benefit of persons or entities designated by the Committee.

Provided that the aforesaid assets freeze shall not apply to the following funds and other economic measures that have been determined by Government of India .-

(i) to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, and notified by the Government of India to the Committee its intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within two working days of such notification (Reference paragraph 3(g)(i) of resolution 1591(2005));

(ii) to be necessary for extraordinary expenses that has been notified and approved by the Committee (Reference paragraph 3(g)(ii) of resolution 1591(2005));

(iii) to be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, or other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered prior to the date of adoption of the resolution 1591(2005) (29th March, 2005) is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee, and has been notified by the Government of India to the Committee (Reference paragraph 3(g)(iii) of resolution 1591(2005)).

Schedule

[See paragraph 2 (b)]

Annexure 1

Resolution 1556 (2004)
Adopted by the Security Council at its 5015th meeting, on
30 July 2004

The Security Council,

Recalling its Statement by its President of 25 May 2004 (S/PRST/2004/16), its resolution 1547 (2004) of 11 June 2004 and its resolution 1502 (2003) of 26 August2003 on the access of humanitarian workers to populations in need,

Welcoming the leadership role and the engagement of the African Union to address the situation in Darfur and expressing its readiness to support fully these efforts,

Further welcoming the communiqué of the African Union Peace and Security Council issued 27 July 2004 (S/2004/603),

Reaffirming its commitment to the sovereignty, unity, territorial integrity, and independence of Sudan as consistent with the Machakos Protocol of 20 July 2002 and subsequent agreements based on this protocol as agreed to by the Government of Sudan,

Welcoming the Joint Communiqué issued by the Government of Sudan and the Secretary-General of the United Nations on 3 July 2004, including the creation of the Joint Implementation Mechanism, and acknowledging steps taken towards improved humanitarian access,

Taking note of the Report of the Secretary-General on Sudan issued 3 June 2004 and welcoming the Secretary-General's appointment of a Special Representative for Sudan and his efforts to date,

Reiterating its grave concern at the ongoing humanitarian crisis and widespread human rights violations, including continued attacks on civilians that are placing the lives of hundreds of thousands at risk,

Condemning all acts of violence and violations of human rights and international humanitarian law by all parties to the crisis, in particular by the Janjaweed, including indiscriminate attacks on civilians, rapes, forced displacements, and acts of violence especially those with an ethnic dimension, and expressing its utmost concern at the consequences of the conflict in Darfur on the civilian population, including women, children, internally displaced persons, and refugees,

Recalling in this regard that the Government of Sudan bears the primary responsibility to respect human rights while maintaining law and order and protecting its population within its territory and that all parties are obliged to respect international humanitarian law,

Urging all the parties to take the necessary steps to prevent and put an end to violations of human rights and international humanitarian law and underlining that there will be no impunity for violators,

Welcoming the commitment by the Government of Sudan to investigate the atrocities and prosecute those responsible,

Emphasizing the commitment of the Government of Sudan to mobilize the armed forces of Sudan immediately to disarm the Janjaweed militias,

Recalling also in this regard its resolutions 1325 (2000) of 31 October 2000 on women, peace and security, 1379 (2001) of 20 November 2001, 1460 (2003) of 30 January 2003, and 1539 (2004) of 22 April 2004 on children in armed conflict, and 1265 (1999) of 17 September 1999 and 1296 (2000) of 19 April 2000 on the protection of civilians in armed conflict,

Expressing concern at reports of violations of the Ceasefire Agreement signed in N'Djamena on 8 April 2004, and reiterating that all parties to the ceasefire must comply with all of the terms contained therein,

Welcoming the donor consultation held in Geneva in June 2004 as well as subsequent briefings highlighting urgent humanitarian needs in Sudan and Chad and reminding donors of the need to fulfil commitments that have been made,

Recalling that over one million people are in need of urgent humanitarian assistance, that with the onset of the rainy season the provision of assistance has become increasingly difficult, and that without urgent action to address the security, access, logistics, capacity and funding requirements the lives of hundreds of thousands of people will be at risk,

Expressing its determination to do everything possible to halt a humanitarian catastrophe, including by taking further action if required,

Welcoming the ongoing international diplomatic efforts to address the situation in Darfur,

Stressing that any return of refugees and displaced persons to their homes must take place voluntarily with adequate assistance and with sufficient security,

Noting with grave concern that up to 200,000 refugees have fled to the neighbouring State of Chad, which constitutes a serious burden upon that country, and expressing grave concern at reported cross-border incursions by Janjaweed militias of the Darfur region of Sudan into Chad and also taking note of the agreement between the Government of Sudan and Chad to establish a joint mechanism to secure the borders,

Determining that the situation in Sudan constitutes a threat to international peace and security and to stability in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations

1. *Calls on* the Government of Sudan to fulfil immediately all of the commitments it made in the 3 July 2004 Communiqué, including particularly by facilitating international relief for the humanitarian disaster by means of a moratorium on all restrictions that might hinder the provision of humanitarian assistance and access to the affected

populations, by advancing independent investigation in cooperation with the United Nations of violations of human rights and international humanitarian law, by the establishment of credible security conditions for the protection of the civilian population and humanitarian actors, and by the resumption of political talks with dissident groups from the Darfur region, specifically the Justice and Equality Movement (JEM) and the Sudan Liberation Movement and Sudan Liberation Army (SLM/A) on Darfur;

2. *Endorses* the deployment of international monitors, including the protection force envisioned by the African Union, to the Darfur region of Sudan under the leadership of the African Union and urges the international community to continue to support these efforts, welcomes the progress made in deploying monitors, including the offers to provide forces by members of the African Union, and stresses the need for the Government of Sudan and all involved parties to facilitate the work of the monitors in accordance with the N'Djamena ceasefire agreement and with the Addis Ababa agreement of 28 May 2004 on the modalities of establishing an observer mission to monitor the ceasefire;

3. *Urges* member states to reinforce the international monitoring team, led by the African Union, including the protection force, by providing personnel and other assistance including financing, supplies, transport, vehicles, command support, communications and headquarters support as needed for the monitoring operation, and welcomes the contributions already made by the European Union and the United States to support the African Union led operation;

4. *Welcomes* the work done by the High Commissioner for Human Rights to send human rights observers to Sudan and calls upon the Government of Sudan to cooperate with the High Commissioner in the deployment of those observers;

5. *Urges* the parties to the N'Djamena Ceasefire Agreement of 8 April 2004 to conclude a political agreement without delay, notes with regret the failure of senior rebel leaders to participate in the 15 July talks in Addis Ababa, Ethiopia as unhelpful to the process and calls for renewed talks under the sponsorship of the African Union, and its chief mediator Hamid Algabid, to reach a political solution to the tensions in Darfur and strongly urges rebel groups to respect the ceasefire, end the violence immediately, engage in peace talks without preconditions, and act in a positive and constructive manner to resolve the conflict;

6. *Demands* that the Government of Sudan fulfil its commitments to disarm the Janjaweed militias and apprehend and bring to justice Janjaweed leaders and their associates who have incited and carried out human rights and international humanitarian law violations and other atrocities, and further requests the Secretary General to report in 30 days, and monthly thereafter, to the Council on the progress or lack thereof by the Government of Sudan on this matter and expresses its Intention to consider further actions, including measures as provided for in Article 41 of the Charter of the United Nations on the Government of Sudan, in the event of non-compliance;

7. *Decides* that all states shall take the necessary measures to prevent the sale or supply, to all non-governmental entities and individuals, including the Janjaweed, operating in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories;

8. *Decides* that all states shall take the necessary measures to prevent any provision to the non-governmental entities and individuals identified in paragraph 7 operating in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur by their nationals or from their territories of technical training or assistance related to theprovision, manufacture, maintenance or use ofthe items listed in paragraph 7 above;

9. *Decides* that the measures imposed by paragraphs 7 and 8 above shall not apply to:

– supplies and related technical training and assistance to monitoring, verification or peace support operations, including such operations led by regional organizations, that are authorized by the United Nations or are operating with the consent of the relevant parties;

– supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian, human rights monitoring or protective use, and related technical training an assistance; and

– supplies of protective clothing, including flak jackets and military helmets, for the personal use of United Nations personnel, human rights monitors, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel;

10. *Expresses* its intention to consider the modification or termination of the measures imposed under paragraphs 7 and 8 when it determines that the

Government of Sudan has fulfilled its commitments described in paragraph 6;

11. *Reiterates* its support for the Naivasha agreement signed by the Government of Sudan and the Sudan People's Liberation Movement, and looks forward to effective implementation of the agreement and a peaceful, unified Sudan working in harmony with all other States for the development of Sudan, and calls on the international community to be prepared for constant engagement including necessary funding in support of peace and economic development in Sudan;

12. *Urges* the international community to make available much needed assistance to mitigate the humanitarian catastrophe now unfolding in the Darfur region and calls upon member states to honour pledges that have been made against needs in Darfur and Chad and underscoring the need to contribute generously towards fulfilling the unmet portion of the United Nations consolidated appeals;

13. *Requests* the Secretary-General to activate inter-agency humanitarian mechanisms to consider what additional measures may be needed to avoid a humanitarian catastrophe and to report regularly to the Council on progress made;

14. *Encourages* the Secretary-General's Special Representative for Sudan and the independent expert of the Commission on Human Rights to work closely with the Government of Sudan in supporting independent investigation of violations of human rights and international humanitarian law in the Darfur region;
15. *Extends* the special political mission set out in resolution 1547 for an additional 90 days to 10 December 2004 and requests the Secretary-General to incorporate into the mission contingency planning for the Darfur region;
16. *Expresses* its full support for the African Union-led ceasefire commission and monitoring mission in Darfur, and requests the Secretary-General to assist the African Union with planning and assessments for its mission in Darfur, and in accordance with the Joint Communiqué to prepare to support implementation of a future agreement in Darfur in close cooperation with the African Union and requeststhe Secretary-General to report to the Security Council on progress;
17. *Decides* to remain seized of the matter

Annexure 2
Resolution 1591 (2005)
Adopted by the Security Council at its 5153rd meeting, on
29 March 2005

The Security Council,

Recalling its resolutions 1547 (2004) of 11 June 2004, 1556 (2004) of 30 July 2004, 1564 (2004) of 18 September 2004, 1574 (2004) of 19 November 2004, 158(2005) of 10 March 2005, 1588 (2005) of 17 March 2005, and 1590 of 24 March 2005, and statements of its President concerning Sudan,

Reaffirming its commitment to the sovereignty, unity, independence and territorial integrity of Sudan, and recalling the importance of the principles of good neighbourliness, non-interference and regional cooperation,

Recalling the commitments made by the parties in the 8 April N'djamena Ceasefire Agreement and the 9 November 2004 Abuja Humanitarian and Security Protocols between the Government of Sudan, the Sudan Liberation Movement/Army(SLM/A) and the Justice and Equality Movement (JEM), and recalling the commitments made in the Joint Communique of 3 July 2004 between the Government of Sudan and the Secretary-General,

Welcoming the signing of the Comprehensive Peace Agreement between the Government of Sudan (GOS) and the Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) in Nairobi, Kenya on 9 January 2005,

Recognizing that the parties to the Comprehensive Peace Agreement must build on the Agreement to bring peace and stability to the entire country, and calling on all Sudanese parties, in particular those party to the Comprehensive Peace Agreement, to take immediate steps to achieve a peaceful settlement to the conflict in Darfur and to take all necessary action to prevent further violations of human rights and international humanitarian law and to put an end to impunity, including in the Darfur region,

Expressing its utmost concern over the dire consequences of the prolonged conflict for the civilian population in the Darfur region as well as throughout Sudan, in particular the increase in the number of refugees and internally displaced persons,

Considering that the voluntary and sustainable return of refugees and internally displaced persons will be a critical factor for the consolidation of the peace process,

Expressing also its deep concern for the security of humanitarian workers and their access to populations in need, including refugees, internally displaced persons and other war-affected populations,

Condemning the continued violations of the N'djamena Ceasefire Agreement of 8 April 2004 and the Abuja Protocols of 9 November 2004 by all sides in Darfur and the deterioration of the security situation and negative impact this has had on humanitarian assistance efforts,

Strongly condemning all violations of human rights and international humanitarian law in the Darfur region, in particular the continuation of violence against civilians and sexual violence against women and girls since the adoption of resolution 1574 (2004), urging all parties to take necessary steps to prevent further violations, and expressing its determination to ensure that those responsible for all such violations are identified and brought to justice without delay,

Recognizing that international support for implementation of the Comprehensive Peace Agreement is critically important to its success, emphasizing that progress towards resolution of the conflict in Darfur would create conditions conducive for delivery of such assistance, and alarmed that the violence in Darfur nonetheless continues,

Recalling the demands, in resolutions 1556 (2004), 1564 (2004), and 1574 (2004), that all parties to the conflict in Darfur refrain from any violence against civilians and cooperate fully with the African Union Mission in Darfur,

Welcoming the 16 February 2005 N'djamena Summit on Darfur and the continued commitment of the African Union to play a key role in facilitating a resolution to the conflict in Darfur in all respects, and the announcement by the

Government of Sudan on 16 February 2005 that it would take immediate steps, including withdrawal of its forces from Labado, Qarifa, and Marla in Darfur, and thewithdrawal of its Antonov aircraft from Darfur,

Commending the efforts of the African Union, in particular its Chairman, acknowledging the progress made by the African Union in the deployment of an international protection force, police, and military observers, and calling on all member states to contribute generously and urgently to the African Union Mission in Darfur,

Reaffirming its resolutions 1325 (2000) on women, peace, and security 1379 (2001) and 1460 (2003) on children in armed conflicts, as well as resolutions 1265 (1999) and 1296 (2000) on the protection of civilians in armed conflicts and resolution 1502 (2003) on the protection of humanitarian and UN personnel,

Taking note of the Secretary-General's reports of 31 January 2005 (S/2005/57and Add.1), 3 December 2004 (S/2004/947), 4 February 2005 (S/2005/68), and 4 March 2005 (S/2005/140), as well as the report of 25 January 2005 of the International Commission of Inquiry (S/2005/60),

Determining that the situation in Sudan continues to constitute a threat to international peace and security,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1 *Deplores* strongly that the Government of Sudan and rebel forces and all other armed groups in Darfur have failed to comply fully with their commitments and the demands of the Council referred to in resolutions 1556 (2004), 1564 (2004),and 1574 (2004), condemns the continued violations of the 8 April 2004 N'djamena Ceasefire Agreement and the 9 November 2004 Abuja Protocols, including air strikes by the Government of Sudan in December 2004 and January 2005 and rebeattacks on Darfur villages in January 2005,and the failure of the Government of Sudan to disarm Janjaweed militiamen and apprehend and bring to justice Janajaweed leaders and their associates who have carried out human rights and international humanitarian law violations and other atrocities, and demands that all parties take immediate steps to fulfil all their commitments to respect the N'djamena Ceasefire Agreement and the Abuja Protocols, including notification of force positions, to facilitate humanitarian assistance, and to cooperate fully with the African Union Mission;

2. *Emphasizes* that there can be no military solution to the conflict in Darfur, and calls upon the Government of Sudan and the rebel groups, particularly the Justice and Equality Movement and the Sudanese Liberation Movement/Army to resume the Abuja talks rapidly without preconditions and negotiate in good faith to speedily reach agreement, and urges the parties to the Comprehensive Peace Agreement to play an active and constructive role in support of the Abuja talks and take immediate steps to support a peaceful settlement to the conflict in Darfur;

3. *Decides*, in light of the failure of all parties to the conflict in Darfur to fulfil their commitments,

(a) to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein "the Committee"), to undertake to following tasks:

i. to monitor implementation of the measures referred to in subparagraphs(d) and (e) of this paragraph and paragraphs 7 and 8 of resolution 1556 (2004),and paragraph 7 below;

ii. to designate those individuals subject to the measures imposed bysubparagraphs (d) and (e) of this paragraph and to consider requests for exemptions in accordance with subparagraphs (f) and (g);

iii. to establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed by subparagraphs (d) and (e);

iv. to report at least every 90 days to the Security Council on its work;

v. to consider requests from and, as appropriate, provide prior approval tothe Government of Sudan for the movement of military equipment and supplies into the Darfur region in accordance with paragraph 7 below;

vi. to assess reports from the Panel of Experts established under subparagraph (b) of this paragraph, and Member States, in particular those in the region, on specific steps they are taking to implement the measures imposed by subparagraphs (d) and (e) and paragraph 7 below;

vii. to encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;

(b) to request the Secretary-General, in consultation with the Committee, to appoint for a period of six months, within 30 days of adoption of this resolution, a Panel of Experts comprised of four members and based in Addis Ababa, Ethiopia, to travel regularly to El-Fasher, Sudan and other locations in Sudan, and to operate under the direction of the Committee to undertake the following tasks:

i. to assist the Committee in monitoring implementation of the measures in subparagraphs (d) and (e), paragraphs7 and 8 of resolution 1556 (2004), and paragraph 7 of this resolution, and to make recommendations to the Committee on actions the Council may want to consider;

ii. to provide a mid-term briefing on its work to the Committee, and an interim report no later than 90 days after adoption of this resolution, and a final report no later than 30 days prior to termination of its mandate to the Council through the Committee with its findings and recommendations; and

iii. to coordinate its activities as appropriate with ongoing operations of the African Union Mission in Sudan (AMIS);

(c) that those individuals, as designated by the Committee established by subparagraph (a) above, based on the information provided by Member States, the Secretary-General, the High Commissioner for Human Rights or the Panel of Experts established under subparagraph (b) of this paragraph above, and other relevant sources, who impede the peace process, constitute a threat to stability in Darfur and the region, commit violations of international humanitarian or human rights law or other atrocities, violate the measures implemented by Member States in accordance with paragraphs 7 and 8 of resolution 1556 (2004) and paragraph 7 of this resolution as implemented by a state, or are responsible for offensive military overflights described in paragraph 6 of this resolution, shall be subject to the measures identified in subparagraphs (d) and (e) below;

(d) that all States shall take the necessary measures to prevent entry into or transit through their territories of all persons as designated by the Committee pursuant to subparagraph (c) above, provided that nothing in this paragraph shall obligate a State to refuse entry into its territory to its own nationals;

(e) that all States shall freeze all funds, financial assets and economic resources that are on their territories on the date of adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled, directly or indirectly, by the persons designated by the Committee pursuant to subparagraph (c) above, or that are held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons or by persons acting on their behalf or at their direction, and decides further that all States shall ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by their nationals or by any persons within their territories to or for the benefit of such persons or entities;

(f) that the measures imposed by subparagraph (d) above shall not apply where the Committee established by subparagraph (a) above determines on a case by case basis that such travel is justified on the ground of humanitarian need, including religious obligation, or where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of the Council's resolutions for the creation of peace and stability in Sudan and the region;

(g) that the measures imposed by subparagraph (e) of this resolution do not apply to funds, other financial assets and economic resources that:

i. have been determined by relevant States to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant States to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets and economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within two working days of such notification;

ii. have been determined by relevant States to be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant States to the Committee and has been approved by the Committee, or

iii. have been determined by relevant States to be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, or other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee, and has been notified by the relevant States to the Committee;

4. *Decides* that the measures referred to in subparagraphs 3 (d) and (e) shall enter into force 30 days from the date of adoption of this resolution, unless the Security Council determines before then that the parties to the conflict in Darfur have complied with all the commitments and demands referred to in paragraph above and paragraph 6 below;

5. *Expresses* its readiness to consider the modification or termination of the measures under paragraph 3, on the recommendation of the Committee or at the end of a period of 12 months from the date of adoption of this resolution, or earlier if the Security Council determines before then that the parties to the conflict in Darfur have complied with all the commitments and demands referred to in paragraph 1 above and paragraph 6 below;

6. *Demands* that the Government of Sudan, in accordance with its commitments under the 8 April 2004 N'djamena Ceasefire Agreement and the 9 November 2004 Abuja Security Protocol, immediately cease conducting offensive military flights in and over the Darfur region, and invites the African Union Ceasefire Commission to share pertinent information as appropriate in this regard with the Secretary-General, the Committee, or the Panel of Experts established under paragraph 3 (b);

7. *Reaffirms* the measures imposed by paragraphs 7 and 8 of resolution 1556 (2004), and decides that these measures shall immediately upon adoption of this resolution, also apply to all the parties to the N'djamena Ceasefire Agreement and any other belligerents in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur; decides that these measures shall not apply to the supplies and related technical training and assistance listed in paragraph 9 of resolution 1556 (2004); decides that these measures shall not apply with respect to assistance and supplies provided in support of implementation

of the Comprehensive Peace Agreement; further decides that these measures shall not apply to movements of military equipment and supplies into the Darfur region that are approved in advance by the Committee established under paragraph 3 (a) upon a request by the Government of Sudan; and invites the African Union Ceasefire Commission to share pertinent information as appropriate in this regard with the Secretary-General, the Committee, or the Panel of Experts established under paragraph 3 (b);

8. *Reiterates* that, in the event the parties fail to fulfil their commitments and demands as outlined in paragraphs 1 and 6, and the situation in Darfur continues to deteriorate, the Council will consider further measures as provided for in Article 41 of the Charter of the United Nations;

9. *Decides* to remain seized of the matter.

Annexure 3

The List established and maintained

by the 1591 (2005) Committee

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found on the Committee's website at: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml.

A. Individuals **SDi.003 Name:** 1: Adam 2: Yacub 3: Sharif 4: na **Title:** na **Designation:** Sudanese Liberation Army (SLA) Commander **DOB:** Approximately 1976 **POB: Good quality a.k.a.: a)** Adam Yacub Shant **b)** Adam Yacoub **Low quality a.k.a.:**na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Apr. 2006 **Other information:** Reportedly deceased on 7 June 2012.

SDi.001 Name: 1: Gaffar 2: Mohammed 3: Elhassan 4: na **Title:** na **Designation:** Major-General and Commander of the Western Military Region for the Sudanese Armed Forces (SAF) **DOB:** 24 Jun. 1952 **POB: Good quality a.k.a.:** Gaffar Mohmed Elhassan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** Ex-serviceman's identification card 4302 **Address:** El Waha, Omdurman, Sudan**Listed on:** 25 Apr. 2006 **Other information:** Retired from the Sudanese Army.

SDi.004 Name: 1: Jibril 2: Abdulkarim 3: Ibrahim 4: Mayu **Title:** na **Designation:** National Movement for Reform and Development (NMRD) Field Commander **DOB:** 1 Jan. 1967 **POB:** El-Fasher, North Darfur(Place of Birth: Nile District, El-Fasher, El- Fasher, North Darfur) **Good quality a.k.a.: a)** General Gibril Abdul Kareem Barey **b)** "Tek" **c)** Gabril Abdul Kareem Badri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Sudanese by birth **Passport no.:** na **National identification no.: a)** 192-3238459-9 **b)** Certificate of nationality acquired through birth 302581 **Address:** Tine, Sudan (Resides in Tine, on the Sudanese side of the border with Chad) **Listed on:** 25 Apr. 2006 **Other information:**

SDi.002 Name: 1: Musa 2: Hilal 3: Abdalla 4: Alnsiem Title: na Designation: a) Member of the National Assembly of Sudan b) In 2008, appointed by the President of Sudan as special adviser to the Ministry of Federal Affairs c) Paramount Chief of the Jalul Tribe in North Darfur DOB: a) 1 Jan. 1964 b) 1959 POB: Kutum Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) (Sheikh) Musa Hilal b) Abd Allah c) Abdallah d)AlNasim e) Al Nasim f) AlNaseem g) Al Naseem h) AlNasseem i) Al Nasseem Nationality: na Passport no.: Diplomatic Passport D014433, issued on 21 Feb. 2013 (Expires 21 February 2015) National identification no.: Certificate of Nationality A0680623 Address: a) Kabkabiya, Sudan b) Kutum, Sudan (Resides in Kabkabiya and the city of Kutum, Northern Darfur and has resided in Khartoum.) Listed on: 25 Apr. 2006 Other information:

B: Entities and other groups

[F. No. U.II/152/5/2016]

RUDRENDRA TANDON, Jt. Secy. (UNP)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.09.09 11:05:40 +05'30'